राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांकः विकास / 2025 / दिनांकः / 03 / 2025

कार्यालय आदेश

जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित ग्रीष्म ऋतु की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में प्रदान किये गये निर्देशों की अनुपालना में **अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग, अलवर के पर्यवेक्षण** में दिनांक 01.04.2025 से मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 108 में वॉर रूम स्थापित किया जाता है, जिसके टेलीफोन नंबर 0144–2338000 है। वार–रूम शहर अलवर की पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 24 x 7 राजकीय अवकाश सहित कार्य करेगा। वर्तमान में संचालित 16 वीं विधान–सभा सत्र में कार्यरत कार्मिकों एवं पूर्व से संचालित सामान्य कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिको को नवगठित वार रूम में निम्न प्रकार नियोजित कर निर्देशित किया जात है कि वे अपने कार्य के साथ–साथ वार रूम के कार्य संपादन किया जाना भी सुनिश्चित करेगें :–

क्र. स.	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	मो0न0	पारी
1	सुश्री रूचि सिंघल	कनिष्ठ सहायक	श्री प्यारेलाल गुप्ता राउमावि राजगढ़	9057079809	प्रथम पारी (प्रात 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक)
2	श्री गोविन्द सहायक बैरवा	व. अध्यापक	रा.उ.मा.वि. कानेटी (रैणी)	9887671983	
3	श्री वीरेन्द्र सिंह	बी.एन.ओ.	बी.सी.एम.एच.ओ. खेडली	6376958582	द्वितीय पारी (दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक)
4	श्री भारत भूषण संतवाणी	अध्यापक	रा.प्रा.वि. बास दोंगडी गोविन्दगढ़	8003740263	
5	श्री गौतम कुमार सावरिया	व्याख्याता	रा.उ.मा.वि. डेहलावास, उमरैण	7014502530	तृतीय पारी (रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक)
6	श्री रामचन्द्र मीणा	अध्यापक	रा.उ.मा.वि. कठेडा कठूमर	9414335300	
7	श्री मनीष शर्मा	अध्यापक	रा.उ.मा.वि. सूरजपुरा कठूमर	9887438441	सामान्य (जनरल) पारी (प्रा[illegible] 9:30 से [illegible] 6:00 बजे तक)
8	श्री रवि सैनी	कनिष्ठ सहायक	रा.उ.मा.वि बडेर उमरैण	8432850878	

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Yo[illegible] Kumar Dagur
Designation : Additional Collector And Additional Dist[illegible] Magistrate
Date: 2025.03.2[illegible] 02:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14474517

उक्त गठित वार–रूम के सुचारू संचालन/क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. जलापूर्ति से संबंधित प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का रजिस्टर संधारित करेगें तथा प्राप्त शिकायतों/ज्ञापनों को टेलीफोन तथा वाट्सऐप के माध्यम से तुरंत जलदाय विभाग के संबंधित अधिशाषी अभियंता को प्रेषित कर अधिकतम 24 घण्टे में निस्तारण की रिपोर्ट प्राप्त करेगें।
2. प्रथम पारी का सोमवार, द्वितीय पारी का मंगलवार, तृतीय पारी का बुधवार एवं रिजर्व पारी का रविवार को अवकाश रहेगा तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय पारी के अवकाश दिवस पर रिजर्व पारी के कार्मिक ड्यूटी करेगें।
3. उक्त समस्त कार्मिक अति. जिला कलक्टर, शहर की अनुमति के बिना मुख्यालय/कार्यालय नहीं छोड़गें एवं अपनी निर्धारित पारी समाप्ति के उपरान्त तथा आगामी पारी के कार्मिकों के आगमन पश्चात ही उन्हें कार्य संभलवाते हुए कार्यालय छोड़ना सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश दिनांक 01.04.205 से प्रभावी होगें।

कृते जिला कलक्टर
अलवर

क्रमांकः विकास/2025/ दिनांकः /03/2025

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
2. अति0 जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/शहर अलवर।
3. उपखण्ड अधिकारी, अलवर।
4. प्रभारी अधिकारी, सामान्य कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट अलवर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी अलवर।
6. अधीक्षण अभियंता, पीएचईडी अलवर को भेजकर लेख है कि शहर के संबंधित वार्डों के अधिशाषी अभियंताओं के नाम मय मोबाइल नंबर/वाट्स ऐप नंबर वार–रूम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही प्राप्त शिकायतों का 24 घण्टे में निस्तारण करवाये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पाबंद करें।
7. अधिशाषी अभियंता समस्त शहर अलवर।
8. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अलवर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/संस्थाप्रधान...को सूचनार्थ।
10. सामान्य जिला स्तरीय कंट्रोल रूम कमरा संख्या 108 में कार्यरत कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त गठित वार–रूम से समन्वय स्थापित कर कार्य संपादन किया जाना सुनिश्चित करेगें।
11. संबंधित कार्मिक श्री..को पालनार्थ।
12. वरि0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, अलवर।
13. कार्यालय प्रति।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Yo[illegible] Kumar Dagur
Designation : A[illegible] Collector And
Additional Dist[illegible] M[illegible]strate
Date: 2025.03.2[illegible]02:38 IST
Reason: Approved